

कार्यवाही विवरण

आदेश

4/3/22

पत्तावली पेश हुई। वकुलाप (उपस्थित) पत्तावली का, जवाब वाद-पत्र का दृष्टान्तपूर्वक प्रबलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। बहस के दौरान वादी वकील ने वाद-पत्र में दंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वाद ही बहस है। प्रतिवादी वकील ने जवाब दाना में दंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि वादी जमरा नम्बर 3566/708 और हुमकीन रास्ते की श्रमि पर जोतेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वाद पेश किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत और हुमकीन रास्ता प्रतिबंधित श्रमि पर जोतेदारी अधिकार नहीं दिया जा सकता। किंतु वादी का वाद-पत्र खरीज फरमाया जावे। वादी ने ग्राम डूरी नगर पंचायत हल्का भोड़की के हाल प्लॉट नं० 3566/708 एका 0.060 हे० श्रमि में से 27) वर्ग मीटर श्रमि के अर्ध भाग नम्बर डलवाकर राजस्व रिकार्ड में और हुमकीन जवाबिप दर्ज करवाने के लिए वाद-पत्र पेश किया है। पत्तावली में प्लॉट नं० 3566/708 फिस्त जै हु रास्ता दर्ज है। और हुमकीन रास्ता प्रतिबंधित श्रमि है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत सार्वजनिक रास्ते की श्रमि पर जोतेदारी अधिकार उदान नहीं किये जा सकते। किंतु वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र साबित नहीं होने से खरीज किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद-पत्र साबित नहीं होने से खरीज किया जाता है। पत्तावली फेसल हुआ होकर नम्बर 6 कम है तथा दायिल दफत है।

4/3/22



possession of their land - Khatedari rights cannot be conferred on land of public way - Held - Gram Panchayat was competent to file appeal - Judgment of first appellate court needs no interference. Paras 11, 12, 13